NOVATEUR PUBLICATIONS
JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
 ISSN No: 2581 - 4230
VOLUME 8, ISSUE 1, Jan. -2022

ग्राम पंचायतों में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण एवं उत्तराखण्ड राज्य की पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व के विशेष सन्दर्भ में।

(Political empowerment of women in Gram Panchayat and with special reference to women's representation in Panchayat of Uttarakhand State)

1. खिलानन्द जोशी, शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय – रूद्रपुर (उधम सिंह नगर), उत्तराखण्ड।
2. डॉ दिनेश शर्मा, राजनीति विज्ञान विभाग, पण्डित ललित मोहन शर्मा कैम्पस (श्री देव सुमन विश्वविद्यालय) ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।

स्त्री एक जननी होने के साथ साथ मानव जीवन का आधार स्तंभ भी है, स्त्री जहॉ एक ओर घर एवं परिवार की रीढ़ एवं आत्मा है, वहीं वह समाज को जोड़ने एवं दृढ़ता प्रदान करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी है। महिलायें विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, परन्तु राजनीतिक भागीदारी एवं निर्वाचन क्षेत्रों में इनका प्रतिनिधित्व पुरूषों की अपेक्षा बहुत कम है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एवं उसकी जननी के रूप में जाना जाता है। साथ ही हमारे देश की गणना ऐसे लोकतंत्रों में की जाती है, जिसने महिलाओं को सर्वप्रथम (1921) मताधिकार प्रदान किया था। हालांकि महिलाओं को केवल मताधिकार देना ही अपर्याप्त था, क्योकि उस समय उनका राजनैतिक तौर पर प्रतिनिधित्व नगण्य था एवं नीति निर्माण में भी उनका कोई योगदान नहीं था। कई कारको ने उनकी राजनीतिक सक्रियता एवं भागीदारी में रूकावटें उत्पन्न की, चाहे वह मनोवैज्ञानिक कारक हों या फिर सामाजिक एवं प्राकृतिक कारक।

कोई भी राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता है, जब तक उस राष्ट्र की आधी आबादी केवल घर की चहारदीवारी तक सीमित हो, स्वतन्त्रोत्तर भारत के संविधान में विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से लैंगिक विषमता को कम करने एवं उन्हें समाप्त करने हेतु प्रयास किये गये। ऐसी परिकल्पना की गई थी कि महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्रदान करने से इनमें राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न होगी जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। परन्तु एक नवीन स्वतंत्र देश में केवल महिलाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान कर देना ही अपर्याप्त था, क्योंकि उस समय भारत में महिलाये सामाजिक एवं शैक्षिक तौर पर बहुत पिछड़ी हुई थीं, अतः परिणाम स्वरूप महिलाओं की विशाल आबादी के बावजूद राजनीतिक सहभागिता में उनकी उपस्थिति नगण्य ही रही। जिसके कारण वह दोयम दर्जे की नागरिक बनी रही। लेकिन चूंकि भारत एक संसदीय लोकतंत्र हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था में बहुमत का शासन होता हैं इसलिये महिलाओं की आधी आबादी की उपेक्षा करने का जोखिम कोई भी सरकार नहीं ले सकती और न ही आधी जनसंख्या की उपेक्षा करने से संविधान के समाजवादी, समतावादी एवं लोकतांत्रिक ढांचे के अन्तर्गत राज्य समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय की स्थापना के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है।

महिला सशक्तिकरण का व्यापक अर्थ है लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा किसी भी प्रकार का विभेद किये बिना समान अवसर प्रदान करना तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में चाहे वह राजनैतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो अथवा सांस्कृतिक क्षेत्र हो, में विकास की प्रक्रिया अथवा नीति निर्माण में महिलाओं को सहभागी बनाना है, इस प्रकार सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं में आत्मविश्वास के साथ ही स्वाभिमान जागृत होता है, जिससे वह अपने जीवन में निर्णयों को स्वयं ले पाती हैं, परिणाम स्वरूप अपने परिवार तथा समाज के विकास में भागीदार बनती है। महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी संकल्पना है, यह तो सर्वविदित है कि किसी भी प्रकार के सशक्तिकरण के लिये राजनीतिक सशक्तिकरण उसकी आवश्यक शर्त होती है। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में ''बिना राजनीतिक सशक्तिकरण के सामाजिक सशक्तिकरण व्यर्थ है।''

सदियों से महिलायें सामाजिक रूढ़ियों, परम्पराओं, तथाकथित नियमों, पितृ सत्तात्मक मानसिकता से शोषित रही हैं, आज भी दुनिया में शायद ही कोई समाज हो, जहॉ स्त्री तथा पुरूषों में पूर्ण समानता हो, उन्हें बराबर के अधिकार, अवसर, इज्ज्त व सत्ता प्राप्त हो। समाज में वह घर के अन्दर भी तरह तरह के दवाब व प्रताड़ना झेलती हैं। बहुत से परिवारों में तो बेटी का पैदा होना ही बोझ समझा जाता है, जिस समाज में पैदा होने से ही लड़का लड़की मे भेद हो, भला ऐसे समाज अथवा राज्य में लड़कियां कैसे अपने व्यक्तित्व को निखार सकती हैं। आज भी हजारों घरों में लड़कों को पढ़ने भेजा जाता है वहीं बेटियों को घर के काम में लगाया जाता है। लाखों बच्चियों का बचपन ही नहीं होता क्योंकि उन पर शुरू से ही जिम्मेदारियों के बोझ लाद दिये जाते हैं, स्वाभाविक रूप से जब बचपन से ही इतने बंधनों से लड़कियों को बांध दिया जाता है तो उनका सशक्तिकरण कैसे होगा इसे समझा जा सकता है।

स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय संविधान में इन सब तथ्यों को महसूस किया गया, कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में महिला सशक्तिकरण हेतु प्रमुख प्रावधान किये गये हैं, हालांकि महिलाओं की सहभागिता की दृष्टि से यह सभी प्रावधान सैद्धांतिक ही रहे, व्यावहारिक तौर पर इन्हें तब ही प्राप्त किया जा सकता था, जब महिलाओं को भी पुरूषों के समान राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी के अवसर प्रदान किये जाते। सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी का प्रथम प्रयास 1952 में सामुदायिक विकास योजना के द्वारा किया गया था, परन्तु यह प्रयास भी जन जागरूकता एवं जन सहभागिता के अभाव में सफल नहीं हो पाया, तत्पश्चात 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत की गई, यह तब तक संभव नहीं है, जब तक लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी न हो। इस समिति ने सुझाव दिया कि यदि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में कोई महिला निर्वाचित न हो सके तो ऐसी स्थिति में दो महिलाओं का मनोनयन कर लिया जाये, जो बच्चों एवं महिलाओं के कार्यो में रूचि रखती हो, परन्तु व्यावहारिक रूप में इसमें उन्हीं महिलाओं का मनोनयन हुआ जो राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली परिवारों से सम्बन्धित थी। यह प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकारों की चिन्ता को तो दिखाता था परन्तु यह प्रयत्न नाकाफी थे, परिणामस्वरूप पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं उनमें महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने

के लिये 1992 में 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया। यह अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था को एवं महिलाओं की इसमें भागीदारी बढाने एवं सशक्तिकरण के प्रयास के लिये मील का पत्थर साबित हुआ।

73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा का गठन अनिवार्य कर दिया गया, परिणाम स्वरूप लाखों महिलाओं ने इसमें भागीदारी की। अधिनियम से जहां एक ओर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए वहीं दूसरी ओर देश की महिलाओं को उनके अस्तित्व को मान्यता प्रदान हुई जिससे महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को ताकत मिली। इस संविधान संशोधन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इससे पंचायतों में महिलाओं के लिये एक तिहाई सीट आरक्षित की गई, साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को भी उनकी आबादी के अनुपात में एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया। पहले तक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व बहुत कम था, परंतु 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत तक की संस्थाओं में महिलाएं निर्वाचित होकर अपने अपने क्षेत्रों में विकास के कार्य कर रही हैं। नवनिर्मित राज्य उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है सन 9 नवंबर 2000 को भारत के एक स्वायत्त राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उत्तराखंड राज्य मे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (उत्तरांचल) अनुकूलन एवं उत्तरण आदेश, 2001 के द्वारा अंगीकृत किया गया। इस अधिनियम के द्वारा पूर्व में चल रही व्यवस्था को कुछ परिवर्तनों के साथ बनाए रखने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं शीर्ष पर जिला पंचायत का गठन किया गया। उत्तराखंड में भी अन्य राज्यों की भांति महिलाओं के लिए एक तिहाई पद आरक्षित थे , परंतु 12 मार्च 2008 में पारित उत्तराखंड पंचायत (संशोधन) अधिनियम 2008 के द्वारा 50 प्रतिशत पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया।

यह संशोधन पंचायतों में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी निर्णय था, जिसके द्वारा लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने एवं उनमें लोकतंत्र एवं राजनीति की समझ को विकसित करने की दिशा में यह कदम निश्चित तौर पर ऐतिहासिक कहा जाता है।

पंचायतों में कानूनी तौर पर तो महिलाओं की सहभागिता को अनिवार्य किया गया है परंतु इस तर्क को भी नहीं भूलना चाहिए कि कानून बनाने मात्र से बदलाव नहीं लाया जा सकता है, भारतीय समाज का ढांचा इस प्रकार निर्मित है कि महिलाओं को हमेशा दबाकर अथवा पुरुषों के अधीन रखा गया है, अतः निरक्षरता, गरीबी, राजनीति में अनिश्चितता तथा परंपरागत रूढ़ियों के बंधनों को क्या उत्तराखंड की महिलाएं तोड़ पाएंगी ? सुदूर पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं जिनके कंधों पर घर की अर्थव्यवस्था का बोझ है, क्या वह इस अतिरिक्त बोझ के साथ राजनीति में सहभागी बन पाएगी? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिनका उत्तर मिले बिना महिला सशक्तिकरण की व्यापक अवधारणा के बारे में कोई विचार प्रकट करना संभव नहीं है।

अध्ययन क्षेत्र :

प्रस्तुत शोध पत्र ग्राम पंचायतों में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण एवं उत्तराखण्ड राज्य की पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विषय से संबंधित है, जिसमें तथ्यों का संकलन एवं उनके विश्लेषण का प्रयास

किया गया है। इसमें हरिद्वार जनपद को छोड़कर 12 जनपदों में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायती राज निर्वाचन 2014 तथा 2019 में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से यह जानने अथवा समझने का प्रयास किया गया है कि क्या इससे महिला सशक्तिकरण के लक्ष्यों को खोजने का प्रयत्न किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक आंकड़ों जैसे विभिन्न सरकारी दस्तावेज, पुस्तकों, वेब सोर्स, पत्र–पत्रिकाओं आदि की सहायता ली गई है। साथ ही शोधार्थी की पृष्ठभूमि ग्रामीण परिवेश की है जिससे शोध पत्र में निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी तथा उसका अवलोकन करने में स्वयं के अनुभव का भी लाभ हुआ। शोध पत्र में विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक पद्धति का अधिक प्रयोग किया गया है जिसे तथ्य की कसौटी पर परखा गया है।

अध्ययन उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध पत्र को के अध्ययन का उद्देश्य उत्तराखंड की पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को ज्ञात करना तथा इसके माध्यम से महिलाओं के राजनीति सशक्तिकरण को जानना एवं उसका विश्लेषण करना है।

ग्राम प्रधान के पदों में महिलाओं की स्थिति– 2014 एवं 2019

तालिका 1

क्रम संख्या	जनपद का नाम	कुल पंचायतें		सामान्य वर्ग		अनुसूचित जाति महिला		अनुसूचित जनजाति महिला		अन्य पिछड़ा वर्ग महिला		कुल महिला	
	निर्वाचन वर्ष	2014	2019	2014	2019	2014	2019	2014	2019	2014	2019	2014	2019
1	अल्मोड़ा	1168	1160	418	415	146	138	1	0	22	20	587	573
2	उधम सिंह नगर	391	376	73	67	33	32	23	24	68	62	197	185
3	चंपावत	313	313	118	117	32	28	0	0	8	7	158	152
4	नैनीताल	511	579	176	174	67	69	2	2	13	14	258	259
5	पिथौरागढ़	690	686	205	203	93	95	15	13	33	35	346	346
6	बागेश्वर	416	407	138	138	59	57	2	2	11	13	208	210
7	उत्तरकाशी	504	508	95	92	65	64	4	4	90	93	254	253
8	चमोली	615	610	223	223	64	64	10	13	12	12	309	312
9	टिहरी गढ़वाल	1038	1035	362	362	91	90	1	1	65	65	519	518
10	देहरादून	403	460	68	62	54	56	72	70	37	37	231	225
11	पौड़ी गढ़वाल	1212	1174	471	474	123	125	1	1	15	15	610	615
12	रुद्रप्रयाग	339	336	129	129	35	35	0	0	6	6	170	170
	कुल	7600	7644	2476	2456	862	853	131	130	380	379	3847	3818

स्रोत– राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड – 2014, 2019

उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की संरचना में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान का पद शक्तिशाली तथा प्रमुख है तालिका संख्या 1 से स्पष्ट होता है कि विगत दोनों निर्वाचन वर्ष 2014 एवं 2019 में

ही महिलाओं को प्राप्त आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक स्थान प्राप्त हुआ है। 2014 के पंचायती चुनावों में जहां नैनीताल जनपद में सर्वाधिक 50.48 प्रतिशत महिला जन प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया वहीं जनपद बागेश्वर में 50 प्रतिशत व टिहरी गढ़वाल 50 प्रतिशत सबसे कम महिला प्रतिनिधियों को चुनने वाले जनपद हैं। इसी प्रकार 2019 के चुनाव में जहां देहरादून में सर्वाधिक 52 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ वही जनपद चंपावत में सबसे कम 48.50 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया गया जो उनके लिए आरक्षित पदों से 1.5 प्रतिशत कम थी जनपद चंपावत के संदर्भ में यह एक विचारणीय एवं चिंताजनक पहलू है कि वहां महिलाओं के लिए आरक्षित कोटा भी पूर्ण नहीं हो पाया।

क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों में महिलाओं की स्थिति– 2014 एवं 2019

तलिका 2

क्रम संख्या	जनपद का नाम	कुल पंचायतें		सामान्य वर्ग		अनुसूचित जाति महिला		अनुसूचित जनजाति महिला		अन्य पिछड़ा वर्ग महिला		कुल महिला	
	निर्वाचन वर्ष	2014	2019	2014	2019	2014	2019	2014	2019	2014	2019	2014	2019
1	अल्मोड़ा	397	391	139	136	51	51	0	0	10	8	200	195
2	उधम सिंह नगर	280	273	81	70	24	22	14	20	21	18	140	139
3	चंपावत	134	134	47	47	15	15	0	0	5	5	67	67
4	नैनीताल	271	266	93	90	35	35	1	1	9	8	138	134
5	पिथौरागढ़	291	290	91	91	40	40	6	5	10	10	147	146
6	बागेश्वर	120	120	37	37	18	18	1	1	4	4	60	60
7	उत्तरकाशी	206	204	62	62	28	26	2	1	12	12	104	103
8	चमोली	254	246	85	85	28	28	4	3	7	7	128	123
9	टिहरी गढ़वाल	345	351	139	139	32	32	0	0	6	6	172	177
10	देहरादून	240	220	53	53	25	25	28	28	13	13	120	119
11	पौड़ी गढ़वाल	398	372	161	161	42	42	0	0	6	6	209	209
12	रुद्रप्रयाग	118	117	44	44	12	11	0	0	3	3	59	58
	कुल	3054	2984	1032	1015	350	345	56	59	106	100	1544	1530

स्रोत– राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड – 2014, 2019

उपरोक्त तालिका संख्या 2 से ज्ञात होता है कि उत्तराखंड महिला स्तर की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की संरचना में क्षेत्र पंचायत स्तर पर महिलाओं को 2014 के निर्वाचन में 50.55 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुए क्षेत्र पंचायत के चुनाव में जहां पूरे राज्य में पौड़ी गढ़वाल जनपद में 52.51 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया। वही टिहरी गढ़वाल जनपद में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई।

जिला पंचायत सदस्य के पदों में महिलाओं की स्थिति– 2014 एवं 2019

तालिका 3

क्रम संख्या	जनपद का नाम	कुल पंचायतें		सामान्य वर्ग		अनुसूचित जाति महिला		अनुसूचित जनजाति महिला		अन्य पिछड़ा वर्ग महिला		कुल महिला	
	निर्वाचन वर्ष	2014	2019	2014	2019	2014	2019	2014	2019	2014	2019	2014	2019
1	अल्मोड़ा	48	45	17	16	6	6	0	0	1	1	24	23
2	उधम सिंह नगर	42	35	11	11	4	3	3	2	3	2	21	18
3	चंपावत	15	15	5	5	2	2	0	0	1	1	8	8
4	नैनीताल	31	27	11	9	4	4	0	0	1	1	16	13
5	पिथौरागढ़	33	33	9	9	6	5	0	1	2	2	17	17
6	बागेश्वर	20	19	6	6	3	3	0	0	1	1	10	10
7	उत्तरकाशी	25	25	8	7	3	3	0	0	2	2	13	12
8	चमोली	27	26	9	9	3	3	1	1	1	1	14	13
9	टिहरी गढ़वाल	45	45	16	16	4	4	0	0	3	3	23	23
10	देहरादून	43	30	13	9	0	0	6	6	3	2	22	17
11	पौड़ी गढ़वाल	42	38	17	17	4	4	0	0	1	1	22	22
12	रुद्रप्रयाग	18	18	6	6	2	2	0	0	1	1	9	9
	कुल	389	356	128	120	41	39	10	10	20	18	199	185

त्रिस्तरीय पंचायतों में जिला पंचायत को शीर्ष स्तर प्राप्त है। 2014 एवं 2019 के जिला पंचायत चुनाव का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि 2014 में जहां पूरे राज्य में जनपद चंपावत 53.33 प्रतिशत ने महिला जनप्रतिनिधियों को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा तो न्यूनतम महिला जनप्रतिनिधियों को भेजने वाले जनपदों में अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, बागेश्वर तथा रुद्रप्रयाग रहे। 2019 के जिला पंचायत चुनाव में सर्वाधिक महिला जनप्रतिनिधि का चुनाव करने वाला जनपद पौड़ी गढ़वाल था, वहीं सबसे कम महिला प्रतिनिधियों का चुनाव करने वाला जनपद देहरादून था।

भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निसंदेह बढ़ा है, विशेषकर उत्तराखंड जैसे राज्य मे, जहां सन 2008 में पंचायती राज एक्ट में संशोधन करते हुए 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गए हैं तो स्वाभाविक तौर पर पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व एवं राजनीतिक सहभागिता बड़ी है, जिसके फलस्वरूप उनमें राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा है। लेकिन कुछ प्रश्नों का उत्तर मिलना अभी शेष है, जैसे पंचायतों में पदों को आरक्षित कर देने मात्र से ही महिला सशक्त हो जायेगी? और अगर पंचायतों में प्रतिनिधित्व से महिला सशक्तिकरण हुआ है तो किस सीमा तक? इन सभी आशंकाओ एवं प्रश्नों का महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से विश्लेषण करना आवश्यक है। वास्तव में

देखा जाए तो पंचायतें महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने तक ही सीमित नहीं है बल्कि, महिलाओं के अधिकारों, उनसे जुड़े सरोकारों का उपयोग करने एवं समाधान करने तक विस्तृत है। इसमें कोई शक नहीं है कि पंचायतों के माध्यम से महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बड़ी है, हालांकि भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है। जिन पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधि स्वयं निर्णय लेती हैं वहां निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण हुआ है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि अभी भी बहुत सी पंचायतों में महिला प्रतिनिधि चुन तो ली जाती है लेकिन निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका नगण्य है। उनके अधिकारों का प्रयोग या तो उनके पति के द्वारा किया जाता है या फिर अन्य पुरुष अभिभावकों के द्वारा। ऐसी स्थिति में उनके प्रतिनिधि होने से ही उनका सशक्तिकरण नहीं हुआ है ऐसा कहा जा सकता है। उत्तराखंड की पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों का विश्लेषण किया जाए तो यहॉ उपरोक्त दोनों परिस्थितियां विद्यमान हैं। उत्तराखण्ड की महिलाएं विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं यहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं, उत्तराखण्ड की महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से प्रगतिशील रही हैं, बल्कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय सरोकारों में भी बढ़–चढ़कर भाग लेती रही है, चाहे वहं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 'चिपको आंदोलन' हो या फिर से समाज सुधार से संबंधित 'नशा मुक्ति आंदोलन' साथ ही उत्तराखंड राज्य निर्माण में महिलाओं की भूमिका एवं योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है।

उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि अवश्य हुई है। पंचायती राज निर्वाचन 2014 एवं 2019 से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है, लेकिन जब तक महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाएगा एवं उन्हें स्वयं निर्णय लेने में रुकावट उत्पन्न की जाएगी तब तक पंचायती राज के उद्देश्यों की पूर्ति होना नामुमकिन है। जिसके लिए जहां महिला साक्षरता की दिशा में राज्य सरकारों को और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि महिला जनप्रतिनिधि शिक्षित नहीं होगी तो वह अपने अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की पूर्ति नहीं कर सकती है, अतः यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा एवं इनमें महिला सहभागिता से महिलाओं का सशक्तिकरण शनैः शनैः हो रहा है जो भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. जे एल विमन एंड पंचायती राज सनराइज पब्लिकेशन दिल्ली 2005
2. सिंह रणवीर एवं सिंह (सं0) लोकल डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस, फाइव डिकेड्स ऑफ पंचायती राज, दीप एण्ड दीप पब्लिकेषन प्रा0 लि0 नई दिल्ली
3. नवानी एवं रावत (सं0) उत्तराखंड ईयर बुक 2016 नवां संस्करण बिनसर पब्लिशिंग कंपनी देहरादून 2016
4. चतुर्वेदी मीनाक्षी एवं अग्रवाल सीमा महिला नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता, अविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर 2003
5. गुप्ता नीलम भारत में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार एवं नेतृत्व के आयाम।